प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 02.02.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना मझोला पुलिस द्वारा चरस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 01.02.2025 को थाना मझोला पुलिस द्वारा अभियुक्त बबलू पुत्र अकरम निवासी मीना नगर जयन्तीपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को 02 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मझोला पर मु0अ0सं0-82/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

बबलू पुत्र अकरम निवासी मीना नगर जयन्तीपुर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

02 कि0ग्रा0 चरस

आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 516/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

2-मु0अ0सं0 818/24 धारा 13 जुआ अधि0 थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 प्रबोध कुमार

उ0नि0 शिवम पंवार

का0 रविन्द्र कुमार

2-थाना बिलारी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, अवैध शस्त्रों की बिक्री/तस्करी पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.02.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त अनिल पुत्र मदन लाल निवासी ग्राम स्योडारा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा 315 बोर व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-55/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अनिल पुत्र मदन लाल निवासी ग्राम स्योडारा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

01 तमंचा 315 बोर व कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 कुलदीप कुमार
का0 राहुल भड़ाना
का0 रितिक राठौर

3-थाना नागफनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 02.02.2025 को थाना नागफनी पुलिस द्वारा वारंटी पंकज सैनी पुत्र धर्मसिंह सैनी निवासी सैनी बस्ती मौ0 नबाबपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद वर्तमान पता ग्राम खानपुर थाना भोजपुर मुरादाबाद सम्बन्धित मु0अ0स0 – 163/23 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

पंकज सैनी पुत्र धर्मसिंह सैनी निवासी सैनी बस्ती मौ0 नबाबपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद वर्तमान पता ग्राम खानपुर थाना भोजपुर मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 देवेन्द्र सिंह

उ0नि0 जुगल किशोर

का0 सुधीर कुमार व का0 प्रमोद कुमार सम्राट

4-जनपदीय पुलिस द्वारा 10 अभियुक्त को शांति व्यवस्था भंग करने में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 02.02.2025 को थाना जनपदीय पुलिस द्वारा 10 अभियुक्त को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

5-थाना नागफनी पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये के ईनामी वारंटी (मफरुर) को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नागफनी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.02.2025 को पुरुष्कार घोषित/स्थायी वांरटी अभियुक्त विनोद कुमार शर्मा पुत्र रामौतार शर्मा निवासी करनपुर थाना उगहैती जनपद बदायूँ हाल निवासी बदायूँ चुंगी पावर हाउस चन्दौसी थाना चन्दौसी जनपद सम्भल सम्बन्धित एसटी नं0 260/06 मु0अ0सं0-414/2006 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद को देवनार थाना देवनार जिला मुंबई राज्य महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना नागफनी का पुरुष्कार घोषित अपराधी है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त विनोद उपरोक्त वर्ष 2006 से लगातार फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त विनोद उपरोक्त के घर की कुर्की कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था अभियुक्त विनोद उपरोक्त माननीय न्यायालय से मफरुर भी घोषित किया जा चुका था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद कुमार शर्मा पुत्र रामौतार शर्मा निवासी करनपुर थाना उगहैती जनपद बदायूँ हाल निवासी बदायूँ चुंगी पावर हाउस चन्दौसी थाना चन्दौसी जनपद सम्भल।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 414/06 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1-उ0नि0 विवेक यादव थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

2-उ0नि0 नितेश सहरावत थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

3-उ0नि0 विपिन कुमार थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।